संख्याः 1654 /VII-1-09/36-ख(टी.सी.-1)/2007

प्रेषक,

श्री पी०सी० शर्मा,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

2- निदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
उद्योग निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

औद्योगिक विकास अनुभाग-1 **देहरादून : दिनांकः21 जनवरी, 2010**

विषयः खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 एवं उसके अधीन प्रख्यापित नियमावलियों में निर्दिष्ट प्रपत्रों के प्रयोग के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड राज्य में खनिज के परिवहन हेतु जारी किये जाने वाले समस्त प्रपत्रों यथा उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 के नियम-70 के अन्तर्गत **एम0एम0-11**, शासनादेश संख्या 1394/18-12-87-55/87, दिनांक 31 मार्च, 1997 के अनुसार (मुख्य खनिज) **प्रपत्र "क"**, उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण), नियमावली, 2005 के नियम-5(1) के अन्तर्गत **प्रपत्र "एन"** तथा नियम-5(2) के अन्तर्गत **प्रपत्र "जे"** को अपने अधिकारिता के जनपदों में नियमानुसार निर्गत किये जाने तथा उपयोग के प्रतिपर्ण को वापस लिये जाने हेतु खान अधिकारी/खान निरीक्षक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड को अधिकृत किया जाता है।

कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(पी०सी० शर्मा)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 1654 (1)/VII-1-09/36-ख(टी.सी.-1)/2007, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तराखण्ड।
2. ज्येष्ठ खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, देहरादून।
3. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर देहरादून।

आज्ञा से,

(पी०सी० शर्मा)
प्रमुख सचिव।